लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, खण्ड–3, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक / सत. / G / बलौदाबाजार / 183 / 2025 / 750 नवा रायपुर, दिनांक 15/07/2025

–:: आदेश ::–

कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के पत्र क्रमांक / शिकायत / 2025 / 5870, दिनांक 14.07.2025 के अनुसार श्री खूबचंद सरसीहा, प्रभारी प्राचार्य(मूल पद व्याख्याता एल.बी.), स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी के द्वारा विद्यालय में शराब पीकर आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, अनुचित कदाचार एवं अमर्यादित व्यवहार करने, कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार से कराये जाने पर जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सही पायी गई ।

2/ उक्त संबंध में श्री खूबचंद सरसींहा व्याख्याता एल.बी को कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के पत्र दिनांक 04.07.2025 के द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया था। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा श्री सरसींहा को निलंबित किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

3/ श्री सरसींहा का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 के विपरीत गंभीर कदाचरण है।

4/ अतः श्री खूबचंद सरसीहा, प्रभारी प्राचार्य(मूल पद व्याख्याता एल.बी.), स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि. खं. कसडोल, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा नियत किया जाता है।

5/ निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(ऋतुराज रघुवंशी)
संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ0क्र0 / सत. / G / बलौदाबाजार / 183 / 2025 / 751 नवा रायपुर, दिनांक 15/07/2025

प्रतिलिपि :–

1/ सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर।

2/ कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.) ।

3/ संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर(छ.ग.)

क्रमशः ..

4/ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.) । निलंबन आदेश संबंधित को तामील करावें एवं आरोप पत्र का प्रारूप (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी) 07 दिवस के भीतर अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

5/ सहायक संचालक, स्थापना 02, ई/टी संवर्ग (स्थानीय) ।

6/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.खं. कसडोल, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.) ।

7/ प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.) ।

8/ श्री खूबचंद सरसीहा, प्रभारी प्राचार्य(मूल पद व्याख्याता एल.बी.), स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शास. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

9/ गार्ड फाईल ।

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़